2021/145

ठअ फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**

श्री संजय जानी
जाति जानी
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला मु.पो. सांतपुर
तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं.57 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.08.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 07.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.04.2021 को जिला कलक्टर जिला सतर्कता समिति सिरोही में श्री जेठूसिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सांतपुर हाल पदस्थापन ग्राम पंचायत गिरवर/मोरथला के विरूद्ध विभागीय जांच में गम्भीर आरोप/अपराध में नियम सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत आरोप प्रमाणित होने पर भी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा नियम विरूद्ध सी.सी.ए. 17 पुनः जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर मुझ परिवादी का पक्ष सुनकर नियम सी.सी.ए. 16 में आरोप पत्र जारी करने हेतु परिवाद दर्ज करवाने हेतु प्रेषित किया था। उक्त परिवाद पर आज तक जो कार्यवाई/प्रोसेडिंग कार्यालय स्तर पर करने की दस्तावेज सहित सूचना एवं उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उससे सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 07.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.04.2021 को जिला कलक्टर जिला सतर्कता समिति सिरोही में श्री जेठूसिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सांतपुर हाल पदस्थापन ग्राम पंचायत गिरवर/मोरथला के विरूद्ध विभागीय जांच में गम्भीर आरोप/अपराध में नियम सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत आरोप प्रमाणित होने पर भी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा नियम विरूद्ध सी.सी.ए. 17 पुनः जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर मुझ परिवादी का पक्ष सुनकर नियम सी.सी.ए. 16 में आरोप पत्र जारी करने हेतु परिवाद दर्ज करवाने हेतु प्रेषित किया था। उक्त परिवाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पर आज तक जो कार्यवाई/प्रोसेडिंग कार्यालय स्तर पर करने की दस्तावेज सहित सूचना एवं उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपरोक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित होने से ए.डी.एम सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 845 दिनांक 23.06.2021 को प्रकरण उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया। चूँकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner